मेरठ विकास प्राधिकरण

की

24वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 18-9-84

का

कार्यवृत्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 18-9-84

समय : प्रात: 10 बजे

स्थान : "सभा कक्ष" विकास भवन,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री वी०के०गोस्वामी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रशासक, नगर महापालिका, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री टी०जार्ज जोजफ	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री डी०डी०शर्मा	संयुक्त सचिव (वित्त), उ०प्र०शासन ।	सदस्य
5-	श्री एन०एस०जौहरी	वरिष्ठ नियोजक	सदस्य
1-	श्री वी०के०गोस्वामी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री एल०आर०सिंह	जिलाधिकारी/ प्रशासक, नगर महापालिका, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री एन०एस०जौहरी	वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ।	सदस्य
4-	श्री प्रभात कुमार गोयाल	सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ।	सदस्य
5-	श्री बी०एस०एन०माथुर	मुख्य अभियन्ता(निर्माण) उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।	सदस्य

कार्यवृत्त का विवरण :-

मद संख्या - 1

गत बैठक दिनाँक 16-2-84 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

बैठक दिनाँक 16-2-84 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी ।

मद संख्या - 2

पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन पर विचार ।

2.1 सूरजकुण्ड सौन्दर्यीकरण योजना के बारे में अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस योजना की प्रस्तावित लागत 18 लाख

रुपये से कम नहीं हो सकती क्योंकि यदि कुण्ड के तल को पक्का नहीं किया जाता तो पानी नहीं ठहरेगा । सदस्यों द्वारा इस योजना के तलपट मानचित्र का भी अवलोकन किया गया । श्री एन० एस० जौहरी, वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस योजना में प्राथमिकता लैन्ड स्केपिंग को दी जानी है अतएव जो भी कार्यवाही की जाये वह लैन्ड स्केपिंग का प्राविधान करते हुए ही की जानी चाहिए । विचार-विमर्श के पश्चात यह तय हुआ कि नगर एवं ग्राम नियोजक एक महीने में इस योजना का बेस मैप और डिजाईन तैयार कर देंगे । इस कार्य हेतु प्राधिकरण उन्हें पूर्ण सहयोग देगा । सचिव ने प्राधिकरण का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कुछ उद्योगपति भी लैण्ड स्केपिंग कार्य में रुचि ले सकते हैं यदि जो उद्यान आदि बनाये जायें, उनमें औद्योगिक संस्थानों के बोर्ड लगाने की अनुमति दी जाती है । अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया कि उद्योगपतियों को इस योजना से सम्बद्ध किया जाना उचित नहीं होगा । अत: यह निर्णय हुआ कि नगर एवं ग्राम नियोजक यथाशीघ्र सूरजकुण्ड का बेस मैप और डिजाईन तैयार कर देंगे । यह भी दृष्टिगत रखा जाये कि प्राधिकरण को इस योजना से आंशिक आर्थिक लाभ भी हो ।

2.2 पुलिस विभाग से जाँच की प्रगति के बारे में ज्ञात किया गया है ।

2.3 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

2.6 अध्यक्ष द्वारा पल्लवपुरम आवासीय योजना में जल आपूर्ति, मल प्रवाह एवं जल निकासी की सुविधाओं के प्रबन्ध में देरी पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा जलनिगम के श्री एस० एन० माथुर मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे दिनाँक 29-9-84 से पूर्व कम - से - कम एक पम्प की व्यवस्था दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के 256 मकानों में पीने के पानी हेतु अवश्य सुनिश्चित कर दें । श्री माथुर ने यह अवगत कराया कि इसके लिये उन्हें बिजली की आवश्यकता होगी । अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी ।

2.8 यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धी पत्रावली उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाये और थाना दौराला में दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट की स्थिति भी यथाशीघ्र ज्ञात कर उपाध्यक्ष को अवगत करायी जाये ।

3. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

4. सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की विनियमावली का जो आलेख तैयार किया गया है, वह सरसरी तौर पर तैयार किया गया प्रतीत होता हैं कम से कम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सेवा विनियमावली के आलेख का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा यह आलेख शासन की स्वीकृति के लिये भेजा गया था । शासन द्वारा कुछ आपत्तियाँ लगायी गयी थी जिनका निराकरण कर उन्हें संशोधित किया जा रहा हैं यह आावश्यक होगा कि उक्त आलेख का अध्ययन करने के पश्चात ही प्राधिकरण की सेवा विनियमावली का आलेख तैयार किया जाये । यह निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त लखनऊ तथा कानपुर विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की विनियमावलियों का भी अध्ययन कर लिया जाये, तत्पश्चात संशोधित आलेख अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

5.1 प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया ।

अन्य मामलों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मामले को प्रस्तुत करते समय यह विवरण दिया जाये कि भवन निर्माण कर्ता द्वारा कौन से नियमों का क्या उल्लघंन किया गया है और आँके गये शमन शुल्क का शैडयूल ऑफ कैलकुलेशन क्या है ।

6. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

7. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

8. कलैक्ट्रेट के तिराहे के विकास के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि इस तिराहे पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण दिनाँक 14-10-84 को होना है, इस सम्बन्ध में जो समिति गठित की गयी है, उसके विचारों से तथा इस तिराहे की विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पुन: अवगत कराया जाये । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बेगमपुल के विकास हेतु नेशनल केपिटल रीजन को सुझाव भेजे जाने चाहिए । वरिष्ठ एवं ग्राम नियोजक श्री जौहरी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बर्ष प्राधिकरण को दिये गये धन में से अभी तक 30 लाख रुपये की धनराशि का उपभोग नहीं किया गया है । 5.6 करोड रुपये मेरठ एवं हापुड रोड के लिये दिये जाने प्रस्तावित हैं, अतएव पूर्व स्वीकृत ऋण का उपभोग तत्काल कर लिया जाना चाहिए और अतिरिक्त धन की माँग हेतु आगणन भेजे जायें । अध्यक्ष द्वारा यह निर्देशित किया गया कि बेगमपुल की योजना तैयार कर उसका आगणन और डिजाईन एन०सी०आर० से स्वीकृत कराकर पूर्व स्वीकृत ऋण का यथाशीघ्र उपभोग करके अतिरिक्त माँग एन०सी०आर० को भेजी जाये ।

9. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

10. सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को भी सम्बोधित किया गया है किन्तु अभी तक कोई नीति निर्देश शासन से प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके आधार पर किसी सहकारी समिति आदि को आबंटन किया जा सके । अध्यक्ष का यह मत था कि यह प्राधिकरण का दायित्व है कि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए समितियों को भूखण्ड/मकान आबंटित करें । यह निर्णय किया गयाकि इस सम्बन्ध में गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों से स्थिति ज्ञात कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

11,12 कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

12. अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि विकास क्षेत्र की सीमा बढ।ते समय यह देखना आवश्यक है कि प्राधिकरण और नगर महापालिका

के बीच समन्वय है या नहीं । यह उचित होगा कि नगर महापालिका की सीमा मोदीनगर से गंग नहर तक बढा दी जाये । इसी प्रकार मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम अछरोडा तक तथा रुडकी मार्ग पर दौराला से कुछ पहले तक नगर महापालिका/प्राधिकरण की सीमा होनी चाहिए । श्री जौहरी का मत था कि मेरठ दिल्ली मार्ग पर मेरठ विकास प्राधिकरण की सीमा मोदीनगर की सीमा से मिलनी चाहिए । उक्तोनुसार प्राधिकरण द्वारा सहमति प्रकट की गयी तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये ।

14. अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण शहर के भीतर सडकों पर गाजियाबाद के सदृष्य डेंस कारपेटिंग कराने पर विचार करें जिसके लिये एन० सी० आर० (नेशनल केटिपल रीजन) से ऋण लिया जा सकता है ।

मद संख्या -3

अपराधों के शमन पर विचार ।

श्री जौहरी द्वारा अवगत कराया गया कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण के समक्ष जो मामले शमन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं, वे सभी शमन के योग्य हैं अथवा नहीं । उनका मत था कि ऐसी सभी मामले जिनमें फ्रन्ट सैट बैक सम्बन्धी नियमों का उल्लघंन है, शमित नहीं हो सकते । श्री यशपाल सिंह, सहायक वास्तुविद, विकास प्राधिकरण, मेरठ ने अवगत कराया कि सभी मामले शमित किये जा सकते हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस बिन्दु का विधि परीक्षण व अध्ययन कर लिया जाये और तत्पश्चात कार्यवाही की जाये ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 22 मामलों में से क्रमांक-2 पर अंकित श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पी० एन० तोमर, कंकरखेडा और क्रमांक-4 पर अंकित श्री राजेश्वर प्रसाद पुत्र श्री विशम्बर सहाय, 46 बागपत रोड के मामले ही गणना कराकर निकाले गये शमन शुल्क पर शमित कर दिये गये । श्री जौहरी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इन सभी मामलों में उल्लघंन क्या है, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और शेडयूल ऑफ कैलकुलेशन ही स्पष्ट

दिया जाना चाहिए । प्राधिकरण द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कर अगली बैठक में सभी मामले प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया ।

मद संख्या - 4

विकसित क्षेत्र में लागू विकास शुल्क (सौन्दर्यीकरण शुल्क) पर विचार ।

श्री जौहरी ने अवगत कराया कि सामान्यत: बैटरमेन्ट लेवी सभी प्राधिकरणों में ली जाती है । यदि किसी क्षेत्र के लोग गरीब हैं तो यह देखा जा सकता है कि प्राधिकरण के भीतर विभिन्न जोन्स में अलग-अलग रेट निर्धारित कर दिये जायें । इसके अलावा भवन निर्माताओं से निर्माण के समय सडक पर इकट्ठे हुए मलवे के लिये भी प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जा सकता हैं उपाध्यक्ष का कथन था कि यदि निर्माण नगर महापालिका की सीमा के भीतर हो रहा है तो यह मलवा चार्ज नगर महापालिका को दिया जाना चाहिए । यह भी निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में गाजियाबाद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से भी स्थिति ज्ञात कर अध्ययन कर लिया जाये । अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि अगली बैठक में इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये और तब तक पूर्व स्थिति बनायी रखी जाये ।

मद संख्या - 5

नियमित की गयी कालोनियों में लिये जाने वाले शमन शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जो दरें वर्तमान में लागू हैं वह अत्यधिक कम हैं अतएव उन्हें कम किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । वरिष्ठ नगर नियोजक श्री जौहरी का मत था कि पूरे नगर को कई खण्डों में बाँट दिया जाये और तदनुसार समस्त पहलुओं को दृष्टिगत कर प्रतयेक खण्ड के लिये अलग दरें लागू करने पर विचार किया जा सकता हैं अन्त में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अधिकतम सीमा समाप्त कर दी जायें और दरें पूर्ववत ही रहेंगी ।

मद संख्या - 6

पल्लवपुरम आवासीय योजना में व्यवसायिक केन्द्र की भूमि के आबंटन हेतु नीति निर्धारण।

अध्यक्ष का मत था कि 20 प्रतिशत भूमि सरकारी कार्यालयों को दिये जाने हेतु सुरक्षित रख ली जाये। श्री जौहरी का कथन था कि प्राधिकरण व्यवसायिक काम्पलैक्स बनायें जिसमें इसेन्शियल सर्विसेज का प्राविधान ले-आउट में ही कर दिया जाये। यह निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागों को भी नीलामी के जरिये आबंटन किया जाये और यदि सर्विस सुविधायें भी दी जा रही हैं तो दुगुनी दर पर आबंटन किया जाये।

मद संख्या - 7

शैक्षिक दातव्य एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को विकसित क्षेत्र पर लागू विकास व्यय के दायित्व से मुक्त करने का प्रस्ताव।

दुर्गा धर्मशाला, देवपुरी, स्वामी शिक्षा सदन, न्यू प्रभात नगर, सैन्ट थामस स्कूल, छीपीटैंक तथा मदरसा पिपली खेडा, हापुड रोड इन चारों मामलों पर विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय हुआ कि इन संस्थाओं को विकास व्यय (सौन्दर्यीकरण शुल्क) में छूट दी जानी उचित नहीं होगी।

मद संख्या - 8

पल्लवपुरम आवासीय योजना में मल प्रवाह, जल आपूर्ति, जलोत्सारण के कार्य उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जाने हेतु अनुबन्ध स्वीकृत कराये जाने का प्रस्ताव।

श्री माथुर, जलनिगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि पल्लवपुरम योजना हेतु एक विशेष ईकाई की स्थापना कर दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अभियन्ता को इस सम्बन्ध में श्री माथुर से एक-दो दिन में सम्पर्क का कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

मद संख्या - 9

पल्लवपुरम योजना में विद्युतीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार।

विद्युतीकरण हेतु यह निर्णय लिया गया कि राज्य विद्युत परिषद के समस्त कार्य डिपोजिट कार्य के रुप में कराया जाये । अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में एक बैठक चीफ जोनल इंजीनियर श्री जैन से यथाशीघ्र की जाये ।

मद संख्या - 10

देहली रोड के पास स्थित गंगोल रोड पर पडने वाले ग्राम इटाहरा एवं काशी में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूउपयोग परिवर्तन।

सचिव ने अवगत कराया कि गंगोल रोड पर राजकीय वस्त्र निगम संस्थान और पराग डेरी संस्थान स्थित हैं जनरल मैनेजर डी० आई० सी० द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि इन संस्थानों के आसपास की भूमि का भूउपयोग कृषि के स्थान पर औद्योगिक किया जाना उचित होगा । इस सम्बन्ध में श्री जौहरी ने यह अवगत कराया कि इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक हैं विचारोपरान्त अध्यक्ष द्वारा इस क्षेत्र को स्पोर्टस उद्योग काम्पलैक्स हेतु निशिचित किया गया, जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण का कोई खतरा नहीं हैं उपरोक्त उपयोग हेतु भूउपयोग परिवर्तन करने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है । भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाये ।

मद संख्या -11

पल्लवपुरम आवासीय योजना में प्रगतिशील पत्रकार परिषद, मेरठ के लिये भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सिद्धान्त स्वीकृत किया जाता है किन्तु प्रगतिशील पत्रकार परिषद को मकान के स्थान पर भवन निर्माण हेतु जमीन दे दी जाये ।

मद संख्या - 12

प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण का प्रस्ताव।

यह निर्णय लिया गया कि मकान बना लिये जायें। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण पर आने वाले अधिकारियों को तत्सम्बन्धी नियमों के अनुरुप मकान दे दिये जायें और ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना है, हायर परचेज पर मकान दिये जाये। श्री जौहरी का मत था कि इस सम्बन्ध में डिजाईन की स्वीकृति एसोसिएट प्लानर से ले ली जाये।

सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि मकान बनाने में क्योंकि समय लगेगा अत: कम से कम स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों को इस दौरान किराये के मकान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्णय ले लिया जाये। प्राधिकरण द्वारा इस पर सहमति दी गयी।

अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि प्राधिकरण को एक आफिसर्स होस्टल बनाना चाहिए जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हैं इस सम्बन्ध में ऋण ले लिया जाये। प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 13

श्रीमती एन० सिप्रियन, 22/ए, आर्डिनेन्स रोड, मेरठ कैन्ट के प्रार्थना-पत्र पर विचार।

यह निर्णय लिया कि प्रार्थिनी से यह पूँछा जाये कि पल्लवपुरम योजना के कार्यान्वयन के पश्चात वे अपनी भूमि को किस प्रकार उपयोग करना चाहेंगी। यह भी ज्ञात कर लिया जाये कि कोई अन्य सैनिक/भूतपूर्व सैनिक ऐसा तो नहीं है, जिसकी भूमि इस योजना में अर्जित की गयी है। जाँच करने पर स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात पुन: प्राधिकरण को इससे अवगत कराया जाये।

मद संख्या - 14

भवन निर्माताओं को शमन शुल्क को किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार।

यह प्रस्ताव रखा गया कि भवन निर्माता के आवेदन पर कुल शमन शुल्क की आधी धनराशि तुरन्त जमा करा ली जाये तथा शेष आधी धनराशि को छः समान किश्तों में जमा करा लिया जाये। किश्तों में जमा होने वाली धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज जोडकर किश्तों में जमा होने वाली धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज जोडकर किश्तों में विभाजन करके जमा कराया जाये। मासिक किश्तों में चूक होने पर शेष बकाया भू-राजस्व की तरह वसूल कराया जाये। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 15

अन्य विषय।

1. सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्री अजीत सिंह सेठी, विधायक, मेरठ द्वारा अध्यक्ष को महायोजना के संधोधन हेतु संशोधित किया गया हैं उनका कथन है कि मौजूदा योजना उस समय तैयार की गयी थी जबकि मेरठ शहर की जनसंख्या बहुत ही कम थी। अब जनसंख्या बढ जाने से महायोजना के तत्काल पुनरीक्षण और संशोधन की आवश्यकता है। वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक श्री एन०एस०जौहरी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में सहारनपुर की महायोजना का पुनरीक्षण और संशोधन किया जा रहा है। मेरठ की महायोजना के संशोधन आदि में अभी समय लगेगा क्योंकि यह कार्य सहारनपुर का कार्य समाप्त होने के पश्चात ही आरम्भ किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा यह जिज्ञासा की गयी कि मेरठ का महायोजना का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा। श्री जौहरी ने यह अवगत कराया कि यह कार्य लगभग डेढ बर्ष तक सम्पन्न हो सकेगा क्योंकि इसके लिये अतिरिक्त स्टाफ आदि की व्यवस्था करनी होगी। श्री जगेश कुमार, सहायक वास्तुविद ने यह अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में स्टाफ दिया जाना सम्भव नहीं है। श्री जौहरी ने स्पष्ट किया कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य सहयुक्त

नगर एवं ग्राम नियोजक कार्यालय, मेरठ द्वारा ही सम्पन्न किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिये।

सचिव द्वारा इसी क्रम में औद्योगिक संस्थान मोदी रबर लि०, मोदी पुरम द्वारा महायोजना के उल्लघंन का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। तलपट मानचित्र पर समस्त स्थिति श्री जगेश कुमार, सहायक वास्तुविद द्वारा स्पष्ट की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पत्र व्यवहार चल रहा है और समस्त सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं उनकी आख्या उपलब्ध होने के पश्चात यह प्रकरण शासन के निर्णय हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

2. सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय दिया जाता हैं पूर्व में स्वीकृत व्यय का ब्यौरा भी उन्होंने प्रस्तुत किया। यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से स्थिति ज्ञात कर ली जाये और कुछ अस्पताल एप्रूव करा लिये जायें। इसी प्रकार डायरेक्टर ऑफ मेडीकल सर्विसेज से उन आईटम्स की सूची भी प्राप्त कर ली जाये, जिनका व्यय स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

3. प्राधिकरण के समक्ष एक अन्य मामला यह प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी पुराने भवन की दीवार गिर जाती है तो ऐसे प्रत्येक मामले में सैट बैक छोडने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में जाँच के पश्चात ही प्रत्येक मामले में निर्णय लिया जाये।

पुष्टि की गयी।

ह०/-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।